लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

संख्या– 217 /01/ई–3/2021–22

प्रयागराज, दिनांकः 29 मार्च, 2022

विज्ञप्ति

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा–2021 में प्रधानाचार्य पद हेतु सम्मिलित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें उनके द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्हता/अनुभव प्रमाण–पत्र जो आवेदन–पत्र स्वीकार किये जाने की **अंतिम तिथि 05 मार्च, 2021** तक या उसके पूर्व 03 वर्ष की अवधि पूर्ण करते हैं, के आधार पर औपबंधिक रूप से प्रश्नगत परीक्षा में इस शर्त के साथ प्रवेश दिया गया है कि यदि उनके द्वारा प्रधानाचार्य पद की अनिवार्य अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रपत्र जो अस्पष्ट है एवं विज्ञापन में उल्लिखित प्रधानाचार्य पद की **अर्हता संख्या (तीन)** *"हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त से उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था से कम से कम तीन वर्ष का पढ़ाने का अनुभव"* यदि संयुक्त शिक्षा निदेशक (जे0डी0) स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न नहीं किया है तो उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अपना तीन वर्षीय अध्यापन अनुभव प्रमाण–पत्र जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 05 मार्च, 2021 तक या उसके पूर्व का हो, संयुक्त शिक्षा निदेशक (जे0डी0) स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर एवं अनिवार्य अर्हताओं से संबंधित अन्य प्रपत्र प्रत्येक दशा में दिनांक **28 अप्रैल, 2022 तक अनिवार्यतः** आयोग कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। उक्त तिथि के बाद इस संदर्भ में प्राप्त कोई भी अभिलेख या प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक।